फैक्स द्वारा/महत्वपूर्ण
सं0– 1918 /52–1–2013–सा(30)/13

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।**
2. **समस्त जिलाधिकारी,**
(बहराईच, फतेहपुर, कानपुर देहात, बिजनौर, अमरौहा, चन्दोली, प्रतापगढ़, झांसी, उन्नाव, रामपुर, सीतापुर, गाजीपुर, उरई, शाहजहांपुर, हापुड़, संभल, कानपुर नगर एवं जौनपुर को छोड़कर)
उत्तर प्रदेश।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग–3, **लखनऊ : दिनांक 07 नवम्बर, 2013**

विषयः–प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यकों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप अनुमन्य कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मेरे पत्र सं0–1617/52–1–2013– सा(30)/13, दिनांक 18–9–2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें। उक्त पत्र में निम्नानुसार कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सुनिश्चित कराये जाने की अपेक्षा की गयी थीः–

(अ) जनपद के अन्तर्गत आने वाले समस्त ग्रामों में अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी का त्वरित आंकलन (rapid estimation) ग्रामीण स्तरीय शासकीय कर्मचारियों की सहायता से कराया जाये। विकास खण्डवार दो सूचियां तैयार करायी जायें। पहली सूची ऐसे ग्रामों की बनायी जाये जहॉ अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी ग्राम की कुल आबादी के 25 प्रतिशत से अधिक किन्तु 50 प्रतिशत से कम है। दूसरी सूची ऐसे ग्रामों की तैयार करायी जाये जहॉ अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी ग्राम की कुल आबादी की 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक है।

(ब) इसी प्रकार जनपद के प्रत्येक नगरीय क्षेत्र के ऐसे वार्डों की भी दो सूचियां तैयार करायी जायें जहॉ अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी वार्ड की कुल आबादी का 25 प्रतिशत से अधिक व 50 प्रतिशत से कम है तथा जहॉ अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी वार्ड की कुल आबादी की 50 प्रतिशत या उससे अधिक है।

...2..

उपर्युक्त सूचियां शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर तैयार करा कर एक सप्ताह के भीतर सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये गये थे। परन्तु शासन द्वारा कई अनुस्मारक पत्र भेजे जाने के बावजूद अभी तक ऊपर अंकित जनपदों के अतिरिक्त अन्य किसी जनपद से वांछित सूचना प्राप्त नहीं हुई है जो अत्यन्त असंतोषजनक है।

अतः इस कार्य को शीर्ष प्राथमिकता देते हुये एक सप्ताह में सूचना उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित समय में सूचना प्राप्त नही होती है तो इसे प्रतिकूल अर्थ में लिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि जिलाधिकारियों द्वारा इस कार्य में रूचि नही ली जा रही है।

कृपया इस कार्य को शीर्ष प्राथमिकता प्रदान करें।

भवदीय,

(जावेद उस्मानी)
मुख्य सचिव